

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2327

दिनांक 27/10/2022

प्रार्थीगण :-

1.देरावरसिंह 2.चन्दनसिंह पि.
जुहारसिंह, जाति राजपूत
निवासी देदड़ियार तहसील गढ़डा
3.हडुमानराम पुत्र जूंगराराम
जाति जाट,
निवासी साईयों का गोलिया
(लोहरवा) ,तहसील धोरीमन्ना

विप्रार्थीगण:-

1. पारूराम 2.आतुराम पि.गाजाराम 3.मान्जु पत्नि गाजाराम जाति
मेघवाल, निवासी बावड़ीकला 4.कुम्भाराम 5.पदमाराम पि.कलाराम
6.मीठा पत्नि कलाराम 7.भलाराम पुत्र सताराम, जाति भील, निवासी
रोढ़ियों का तला 8.चन्दनसिंह 9.हिन्दूसिंह 10.उम्मेदसिंह 11.राजूसिंह
पि. विरधसिंह 12.पूर्णसिंह पुत्र हड़वतसिंह 13.रतनकंवर पत्नि
हड़वतसिंह, जाति राजपूत, निवासी बावड़ीकला 14.बिहारीराम
15.लालाराम पि. तुलछाराम 16.जमना पत्नि तुलछाराम, जाति सुथार,
निवासी बावड़ीकला, तहसील चौहटन 17.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 06/2022

दिनांक : 19.10.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बावड़ीकला के मौजा रूपनगर के खेत खसरा सं. 280/174 रकबा 50.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है । प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे ।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 2328 to 2331

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण देरावरसिंह वगैरा
3. विप्रार्थीगण पारूराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 27/10/2022



(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन